न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1007–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–1–2017 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला बुरहानपुर, प्रकरण कमांक 18/बी–121/2016–17.

.....

1–भुपेन्द्र पिता गेंदालाल गुप्ता

2–रविन्द्र पिता गेंदालाल गुप्ता

3–अलकेन्द्र पिता गेंदालाल गुप्ता

सभी निवासी मोहल्ला ढोलीवाडा शहर

तहसील व जिला बुरहानपुर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती रजनी देवी पति शंकरराव बडे

निवासी ढाकेवाडी पंचमुखी हनुमान के पास

जिल्हापेठ जलगॉव महाराष्ट्र

2–शोभा पिता पांडुरंग वाडेकर

निवासी धैर्यशीलराव देशमुख के घर के पास

न्यामतपुरा बुरहानपुर म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक– आवेदकगण

श्री एच0एन0फडके, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–1–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला बुरहानपुर के समक्ष संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 4–11–16 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 10–1–17 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा बिना प्रकरण का अवलोकन किये जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है और विधि के प्रावधानों को समझे बिना पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख के असत्य प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा इस आधार पर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील विचाराधीन है जबकि वास्तव में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कोई अपील लंबित नहीं है । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा 0.66 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदकगण को भूमिस्वामी माना गया है और उक्त डिक्री का पालन भी हो चुका है तथा व्यवहार न्यायालय की डिक्री की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तथा कब्जा भी प्राप्त हो गया है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण का उद्देश्य केवल यह है कि प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदकगण को नहीं मिले इसलिये नक्शा दुरूस्ती का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि बटांकन का प्रकरण लंबित है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि मूलतः प्रकरण बटांकन का होकर संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत नक्शा दुरूस्ती का नहीं है और बटांकन के संबंध में पृथक से कार्यवाही प्रचलित है । यदि आवेदकगण उक्त कार्यवाही से सहमत नहीं है तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–1–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर